

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:—एफ.28()पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2018/

3169 जयपुर,दिनांक 12-7-18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद—पाली ।

विषय:— ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.स.	सर्व श्री/श्रीमति /सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./पं0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./पं0 स0)
1	अनिल वैष्णव	पं0स0रायपुर (पाली) से पं0स जैतारण (पाली) स्थानान्तरणाधीन (कार्या0 जिला परिषद पाली के आदेश 1104 दिनांक 27.06.2018)	निरस्त कर, यथावत पं0स0 रायपुर (पाली)
2	श्री मूलाराम कुमावत	पं0स0रायपुर (पाली) से पं0स जैतारण (पाली) स्थानान्तरणाधीन (कार्या0 जिला परिषद पाली के आदेश 1104 दिनांक 27.06.2018)	निरस्त कर, यथावत पं0स0 रायपुर (पाली)
3	श्रीमति अन्जू कालवा	पं0स0रायपुर (पाली) से पं0स रानी (पाली) स्थानान्तरणाधीन (कार्या0 जिला परिषद पाली के आदेश 1104 दिनांक 27.06.2018)	निरस्त कर, यथावत पं0स0 रायपुर (पाली)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:—

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— ए.सी.पी मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव